सत्यमेव जयते

Government of India

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

# सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम

# <u>सूक्ष्म और लघु उद्यमों की रेटिंग के लिए परफारमेन्स एण्ड क्रेडिट स्कीम</u>

## <u>पृष्ठभूमि</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र पूरे विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेजी से बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य ने भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समक्ष अनेक अवसर और चुनौतियां पेश कर दी हैं। यद्यपि एक तरफ, उत्पादकता में वृद्धि करने और अन्य देशों में नए बाजारों की खोज करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनेक अवसर उत्पन्न हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सफलतापूर्वक निपटने के लिए, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वित्तीय शक्ति के हिसाब से  उनकी सक्षमता को उन्नत बनाने के लिए उन पर बाध्यता भी लगा दी है। आवश्यकता इस बात की है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच जागरुकता उत्पन्न की जाए एवं उनके मौजूदा प्रचालनों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में और उनकी संगठनात्मक शक्तियों में वृद्धि करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाए।

इस दिशा में एक कदम के रूप में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक रेटिंग योजना आरंभ करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह अपेक्षा की जाती है कि रेटिंग स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करके एवं अर्थव्यवस्था के लिए अंशदान में सुधार करके इसे प्रोत्साहित करेगी क्योंकि अच्छी रेटिंग, बाजार में उनकी स्वीकार्यता में वृद्धि करेगी और शीघ्र तथा सस्ते क्रेडिट के लिए पहुंच बनाएगी तथा इस प्रकार क्रेडिट की लागत के किफायती होने में सहायता करेगी। इसके अलावा, रेटिंग, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सामग्री के स्रोत के विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए क्रेताओं में विश्वास की भावना भी भरेगी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, अनेक स्टेकहोल्डरों अर्थात लघु उद्योग संघों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तथा अनेक रेटिंग एजेंसियों जैसे कि क्रिसिल, (सीआरएसआईएल) इकरा (आईसीआरए), डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट (डी एण्ड बी) एवं ओनिकरा (ओएनआईसीआरए) के परामर्श से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक परफारमेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम शुरू की गई है।

लगातार....

## <u>योजना का शीर्षक</u>

**इस योजना का शीर्षक हैः**

### ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस एण्ड क्रेडिट रेटिंग स्कीम''

## <u>स्कीम की मुख्य विशेषताएं</u>

### 1. <u>सूक्ष्म और लघु उद्यमों की रेटिंग के लिए पहुँच मार्ग</u>

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश में स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है।

- इकाइयों की रेटिंग, इकाई के परफारमेंस और क्रेडिट संबंधी योग्यता का मिश्रण होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों की रेटिंग पद्धति में क्रेडिट योग्यता और परफारमेंस का मिश्रण होगा जिसमें प्रचालनात्मक, वित्तीय, व्यवसाय और प्रबंधन संबंधी खतरों को मापने के मापदंड शामिल होंगे।

- रेटिंग की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, स्कीम को लागू करने को लिए रेटिंग एजेंसियों का पैनल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मुख्य कार्यालय द्वारा बनाया जाएगा।

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, विभिन्न एजेंसियों द्वारा रेटिंग प्रदान की गई इकाइयों के बारे में एक डाटाबेस रखेगा।

### 2. <u>सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा रेटिंग एजेंसियों का चयन</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ रेटिंग स्कीम के अंतर्गत पैनल में रखी गई रेटिंग एजेंसियों में से किसी का भी चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इकाई द्वारा चुनी गई रेटिंग एजेंसी का उल्लेख, रेटिंग प्राप्त करने के लिए उसके अनुरोध पत्र में किया जाएगा।

लगातार....

## 3. रेटिंग की प्रक्रिया

**रेटिंग प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः**

| चरण | रेटिंग की प्रक्रिया |
|---|---|
| 1 | सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाई से रेटिंग आवेदन पत्र प्राप्त करना |
| 2 | सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाई से सूचना एकत्र करना |
| 3 | सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रबंधन के साथ उसी स्थान पर बैठक करना |
| 4 | सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाई से प्राप्त की गई सूचना का विश्लेषण करना |
| 5 | रेटिंग प्रदान करना |

रेटिंग की विधिमान्यता, रेटिंग के पत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

## 4. रेटिंग शुल्क

रेटिंग एजेंसियों की, सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों सहित विभिन्न ग्राहकों की रेटिंग के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क संरचना है। रेटिंग ऐजेंसियां, इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों के लिए अपनी शुल्क संरचना अलग से बनाएगी।

चूंकि विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग देने के मूल्यांकन मानदंड भिन्न-भिन्न हैं और इस्तेमालकर्ताओं के साथ उनकी स्वीकार्यता भी भिन्न-भिन्न है, इसलिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा लिए जाने वाला रेटिंग-शुल्क अलग-अलग हो सकता है।

तथापि, रेटिंग एजेंसियॉं अपना रेटिंग शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी जिसकी सूचना पैनल में नाम लिखवाने के समय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को दी जाएगी ताकि शुल्क की पूरी तरह जानकारी आवेदक इकाई और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को पहले से ही हो। तथापि, रेटिंग शुल्क की समीक्षा समय-समय पर रेटिंग एजेंसियों द्वारा, प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की संख्या/आकार के कारण की जा सकती है।

यद्यपि विभिन्न रेटिंग एजेंसियों का रेटिंग शुल्क भिन्न भिन्न हो सकता है परन्तु शुल्क सब्सिड़ी संबंधी उद्देश्य के लिए, शुल्क हिस्सेदारी के अंतर्गत दी गई तालिका के अनुसार, सरकार द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, अपने आवेदनपत्र के साथ रेटिंग शुल्क के लिए अपने अंशदान का भुगतान करना होगा। यह भुगतान, सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाई द्वारा चुनी गई रेटिंग एजेंसी के पक्ष में आहरित 'पे-आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट' के द्वारा किया जा सकता है।

लगातार....

पूर्ण सूचना प्राप्त न होने के कारण, रेटिंग एजेंसी द्वारा, रेटिंग के आवेदन को बंद मान लेने पर अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्त किए गए शुल्क का 50 प्रतिशत रेटिंग एजेंसी द्वारा लौटा दिया जाएगा। तथापि, यदि रेटिंग एजेंसी द्वारा निरीक्षण कर लिए जाने के बाद सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाई, रेटिंग प्रक्रिया से पीछे हटता है तो कोई धनराशि नहीं लौटाई जाएगी।

## 5. शुल्क की हिस्सेदारी

रेटिंग एजेंसी को भुगतान किए जाने वाला शुल्क सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल कारोबार पर आधारित होगा जिसे तीन स्लैब में श्रेणीबद्ध किया गया है। रेटिंग एजेंसी द्वारा लिए गए शुल्क के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का हिस्सा एवं कारोबार का स्लैब नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

| कुल कारोबार | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाने वाला शुल्क |
|---|---|
| 50 लाख रू. तक | 25000/- रू. की अधिकतम सीमा के अधीन, रेटिंग एजेंसी द्वारा लिए गए शुल्क का 75 प्रतिशत |
| 50 लाख रू. से 200 लाख रू. तक | 30,000/-रू. की अधिकतम सीमा के अधीन रेटिंग एजेंसी द्वारा लिए गए शुल्क का 75 प्रतिशत |
| 200 लाख रू. से अधिक | 40,000/- रू. की अधिकतम सीमा के अधीन, रेटिंग एजेंसी द्वारा लिए गए शुल्क का 75 प्रतिशत |

शुल्क के लिए शेष धनराशि सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा वहन की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आर्थिक सब्सिड़ी के रूप में दिए जाने वाले शुल्क का भाग, रेटिंग एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को रेटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से जारी किया जाएगा।

## 6. रेटिंग के पैमाने

यद्यपि मूल्यांकन का मानदंड प्रत्येक रेटिंग एजेंसी पर छोड़ा जाएगा, फिर भी रेटिंग एजेंसियों द्वारा समान रूप से कार्यान्वयन करने के लिए दी गई रेटिंग में जोखिम की मात्रा दर्शाने के लिए संकेत और उनकी परिभाषा तैयार की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रेटिंग देते समय इस्तेमाल किए जाने वाले संकेत और उनकी परिभाषा अनुबंध-I में दिए गए हैं। ये संकेत, इकाई की क्रेडिट योग्यता के साथ-साथ परफारमेन्स मूल्यांकन दोनो को दर्शाते हैं।

लगातार....

प्रत्येक रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग से पहले 'एनएसआईसी' शब्द लगाया जाएगा। इस प्रकार इकरा (आईसीआरए) द्वारा दी गई रेटिंग को **''एनएसआईसी'-इकरा परफारमेन्स और क्रेडिट रेटिंग''** कहा जाएगा।

## 7. सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों के मूल्यांकन/रेटिंग की हिस्सेदारी

रेटिंग एजेंसियां, सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों को दी गई रेटिंग में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ हिस्सेदार होंगी।

## 8. स्कीम का संवर्धन

इस स्कीम का, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा। इस स्कीम का विस्तृत विवरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इंडियन बैंक एसोसिएशन और इसके सदस्य बैंकों, सूक्ष्म और लघु उद्यम संघो की वैबसाइट पर भी उपलब्ध होगा और रेटिंग स्कीम के संवर्धन करने के लिए रेटिंग एजेंसियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

## 9. आवेदन फार्म

आवेदन फार्म, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सभी कार्यालयों और पैनल में रखी गई सभी रेटिंग एजेंसियों के पास उपलब्ध होगा।

फार्म राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तथा रेटिंग एजेन्सियों की वैबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। इच्छुक सूक्ष्म और लघु उद्यम संघों को भी उनकी वैबसाइट से आवेदन फार्म उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।

कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम रेटिंग के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना होगा एवं इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अथवा इसके द्वारा चुनी गई रेटिंग ऐजेंसी को प्रस्तुत करना होगा।

## 10 आवेदन की प्रक्रिया

सूक्ष्म और लघु उद्यम को रेटिंग के लिए अपना आवेदन दो प्रतियों में देना होगा। इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किसी भी कार्यालय/शाखा को अथवा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा चुनी गई रेटिंग एजेंसी को सीधे प्रस्तुत करना होगा।

लगातार....

आवेदन प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, और इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेजों के साथ दूसरी प्रति रेटिंग एजेंसी को भेजेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि आवेदन रेटिंग एजेंसी को प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन की एक प्रति रेटिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को उनके संदर्भ और टिप्पणी को लिए भेजी जाएगी।

## 11 <u>रेटिंग के लिए अपेक्षित सूचना</u>

रेटिंग के लिए आवेदन करने वाली सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों को आवेदन के साथ अनुबंध-I (ख) पर दी गई सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

## 12 <u>समापन की समय-सीमा</u>

रेटिंग एजेंसियां प्राप्त किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करेंगी और किसी भी प्रकार की कमी होने पर, इसे 15 दिन की अवधि के भीतर समापन/संशोधन के लिए इकाई को सूचित करेंगे।

उल्लिखित अवधि के भीतर विवरण प्राप्त न होने पर एजेंसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का और समय देने के लिए अनुस्मारक भेजेगी। यदि इकाई से दूसरी सूचना देने की तारीख से 15 दिन के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता तो इस मामले को समाप्त किया मान लिया जाएगा।

आवेदक इकाई से पूरी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से रेटिंग एजेंसी मूल्यांकन तथा रेटिंग देने के कार्य को एक माह के भीतर पूरा करेगी।

..................

**अनुबंध-।**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वित परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम के अंतर्गत परफारमेंस एवं क्रेडिट मापदंडों पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों का रेटिंग पैमाना**

**एस ई :। ए** उच्चतम कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना काफी अधिक है और इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता अधिक है।

**एस ई : । बी** उच्चतम कार्य-निष्पादन सक्षमता, सीमित वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना काफी अधिक है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता सीमित है।

**एस ई : । सी** उच्चतम कार्य-निष्पादन सक्षमता, कम वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना काफी अधिक है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

**एस ई : 2 ए** उच्चतम कार्य-निष्पादन सक्षमता, अधिक वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना अधिक है और इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता अधिक है।

**एस ई : 2 बी** उच्च कार्य-निष्पादन सक्षमता, सीमित वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना अधिक है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता सीमित है।

**एस ई : 2 सी** उच्चतम कार्य-निष्पादन सक्षमता, कम वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना अधिक है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

**एस ई : 3 ए** सीमित कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामार्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना समिति है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता अधिक है।

**एस ई : 3 बी** सीमित कार्य-निष्पादन सक्षमता, सीमित वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना सीमित है और इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता सीमित है।

**एस ई : 3 सी** सीमित कार्य-निष्पादन सक्षमता, कम वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना समिति है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

**एस ई : 4 ए** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-निष्पादन की संभावना क्षीण है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता अधिक है।

**एस ई : 4 बी** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, सीमित वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-परफारमेंस की संभावना क्षीण है। तथापि, और इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

**एस ई : 4 सी** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-परफारमेंस की संभावना क्षीण है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

**एस ई : 5 ए** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-परफारमेंस की संभावना क्षीण है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता अधिक है।

**एस ई : 5 बी** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, सीमित वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-परफारमेंस की संभावना क्षीण है। तथापि, इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता सीमित है।

**एस ई : 5 सी** धीमी कार्य-निष्पादन सक्षमता, उच्च वित्तीय सामर्थ्य। कार्य-परफारमेंस की संभावना क्षीण है और इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता की सक्षमता कम है।

.................